CALCULATION OF LANDSCAPE GREEN

SL.NO.	DESCRIPTION	NO.		AREA IN SQ-MT.		TOTAL AREA IN SQ-MT.
1	L-1	1	X	67.41	=	67.41
2	L-2	1	X	67.54	=	67.54
3	L-3	1	X	86.79	=	86.79
4	L-4	1	X	71.05	=	71.05
5	L-5	1	X	95.23	=	95.23
6	L-6	1	X	115.31	=	115.31
7	L-7	1	X	153.10	=	153.10
8	L-8	1	X	115.85	=	115.85
9	L-9	1	X	151.15	=	151.15
10	L-10	1	X	95.74	=	95.74
11	L-11	1	X	80.93	=	80.93
12	L-12	1	X	109.00	=	109.00
13	L-13	1	X	58.77	=	58.77
14	L-14	1	X	51.93	=	51.93
15	L-15	1	X	19.67	=	19.67
16	L-16	1	X	20.40	=	20.40
17	L-17	27	X	2.80	=	75.60
TOTAL					=	1435.47

प्रतिबन्ध

1. शासन पत्र दिनांक 30.08.2017 के अनुक्रम पर्यावरण विभाग की अनापत्ति शीघ्र जमा न करने एवं लेबर सेस के सम्बन्ध में अनुपालन न किये जाने की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
2. भू-स्वामित्व तथा भूमि क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विकासकर्ता लेआउट वाली भूमि पर विक्रय/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। भूखण्ड के जिस खसरा नम्बर का स्वामित्व प्राप्त तथा की भूमि व ऋण की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उसा भाग पर विकासकार्य तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।
3. राजिका मानचित्र के क्रम में तैयार स्कीमिंग प्लान के अनुसार ड्राइनेज अधिकार होगा।
4. शासनादेश के अनुसार स्थल पर भूजल रिचार्ज विधा जल भूगर्भित करना होगा।
5. तैयार स्कीमिंग प्लान व सर्विसेज प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।
6. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी से नेशेसरी का प्रावधान करना होगा।
7. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
8. रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वॉटर विधान का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
9. श्रेष्ठ एम्ब, सेस एक्ट व नेशनल सेफ्टी कोड का अनुपालन करना होगा, तथा लेबर सेस से सम्बन्धित शुल्क जमा करके प्रमाणपत्र की सूचित करना होगा।
10. स्थल पर सार्वजनिक सेवा से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं समाजोपयोगी सुविधाओं का विकास करना होगा।
11. स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट्ट लगाना होगा।
12. संसोधित भवन मानचित्र हेतु अभिन्यास विभाग की संशोधित अनापत्ति शीघ्र प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी
13. मुख्य नगर एवं ग्राम निवेशिका, 2020 लखनऊ द्वारा गाई जाने वाले अधिनम जमा करना होगा।
14. यदि भविष्य मे ऐसी कोई बात प्रकाश मे आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्राविधान का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

भवन मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अधीन प्रस्तुत मानचित्र स्वीकृत किया जाता है कि विशेष अधिकार भूमि विन्यास के लिए विवाद प्रभाव नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकारी
स्वीकृत
प्रसंचित संख्या- 4316
दिनांक 21-07-2017
स्वीकृत की वैधता दि. 20-07-2022
अधिशासी अभियन्ता
विकास क्षेत्र, लखनऊ

SUBMISSION DRAWING

PROJECT TITLE:

PROPOSED GROUP HOUSING-4 SITUATED AT INTEGRATED TOWNSHIP AT BAGHAMAU VILLAGE ,LUCKNOW

KEYPLAN:

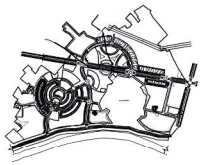

NORTH:

NOTE:

DRAWING TITLE:

LANDSCAPE PLAN

SCALE	1:350	DATE	27-09-16
DRAWN		CHECKED	
PAPER		ISSUED	

CLIENT & DEVELOPER:

M/S. ANS Developers Pvt. Ltd.
(Lead Member of Consortium of ANS Constructions Ltd.)
Regd. Office: 308, Tulsiani Chambers, Nariman Point, Mumbai- 400021.

DESIGN ARCHITECT:

SIKKA ASSOCIATES ARCHITECTS

PLUMBING & FIRE:

M/s. Techno Engineering Consultants
Pocket-A, 30 D, Siddartha Extension
New Delhi - 110014
Phone No. - 91-11-26344668

ARCHITECT:

AR. SAURABH GUPTA
COA Reg No.-CA/2008/42317

OWNER:

(अनवर रिजवी)
निदेशक
मे० एहसास कंस्ट्रा

D NO.	GH-4-03	S NO.	03/13